



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
 18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
**Website: www.kvsangathan.nic.in**

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 03.08.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Giriraj Singh** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **67** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	आयुष राज	श्री कुमार गौतम MOB- 7903962705	9	गढ़हरा
2	अंश कुमार	श्री धनन्जय सिंह MOB- 9934753868	9	NO.2 IOC BARAUNI
3	आराध्या भारद्वाज	श्री महेश भारद्वाज MOB- 8588084138	2	NO.2 IOC BARAUNI
4	सुतिका सिन्हा	श्री प्रणव कुमार MOB- 9934622985	2	NO.2 IOC BARAUNI
5	समर्पित गौतम	श्री राकेश MOB- 8789580696	7	NO.2 IOC BARAUNI
6	अनन्या कुमारी	श्री राहुल कुमार MOB- 6200786470	3	NO.2 IOC BARAUNI
7	दिव्यलता	श्री प्रदीप MOB- 9709645281	1	NO.2 IOC BARAUNI
8	अदिति कुमारी	श्री विकास कुमार राय MOB- 7004133036	1	गढ़हरा
9	केशव कुमार	श्री अशोक कुमार ईश्वर MOB- 9934630454	6	NO.2 IOC BARAUNI
10	आन्या	श्री राहुल प्रसाद सिंह MOB- 9801733717	1	NO.2 IOC BARAUNI

प. ठाकुर कृ. पृ. 3.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।

A. ठाकुर  
3/8/21

(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Giriraj Singh माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **PATNA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)